न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बुलन्दशहर।

दाण्डिक विविध वाद संख्याः 875 सन 2024

नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री डम्बर सिंह,
निवासी ग्राम बैलाना, थाना ककोड़, जिला बुलन्दशहर।

......................निगरानीकर्ता

बनाम

01. उत्तर प्रदेश सरकार,
02. श्रीमती ललिता देवी पत्नी नरेन्द्र सिंह पुत्री सुरेश गौड़,
निवासी ग्राम औलीना, थाना औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर।

..................................विपक्षीगण

दिनांक–27.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज वास्ते आदेश नियत है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 5बी अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम पर दिनांक–24.08.2026 को सुना जा चुका है।

मैंने पत्रावली का विधिवत् परिशीलन किया।

प्रार्थना पत्र कागज सं0–5बी अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम में आवेदक द्वारा यह कथन किया गया है कि वह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त है, जो कि दिनांक 29.02.2024 को सेवानिवृत्त हो चुका है। उक्त दोनो पक्षो का एक वाद सं० 376/2021 अन्तर्गत धारा 125 दं0प्र0सं0 परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर के यहां विचाराधीन था, जो दिनांक 13.12.2024 को निर्णीत हो चुका है। उक्त वर्णित मुकदमे के दौरान उसको उपरोक्त मुकदमे की व उसमे तलब होने की जानकारी हुई, जिसके पश्चात् उसके द्वारा उपरोक्त पत्रावली का अपने वकील साहब से मुआयना कराकर बिना किसी देरी के तलबी आदेश दिनांक 21.12.2024 को सत्यापित नकल प्राप्त करके उक्त रिवीजन न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जा रहा है। उसके द्वारा जानबूझकर कोई देरी नही की गयी है, जोकि क्षमा किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना की गयी कि उसको धारा 5 म्याद अधिनियम का लाभ दिया जाकर उसके रिवीजन को स्वीकार किये जाने की कृपा करें।

विपक्षी द्वारा प्रार्थनापत्र पर मौखिक आपत्ति करते हुए यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त तलबी आदेश दिनांकित–21.10.2023 के विरूद्व निगरानीकर्ता नरेन्द्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी प्रार्थना–पत्र धारा–528 बी.एन.एस.एस. नम्बर–28198 किया था, जोकि निरस्त किया गया है। निगरानीकर्ता ने विलम्ब का कोई सन्तोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया, जिसके आधार पर यह प्रार्थना–पत्र 5बी निरस्त होने योग्य है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–05 मियाद अधिनियम दिनांक–23.12.2024 को आवेदक द्वारा परिवाद संख्या–413/2022 श्रीमती ललिता देवी बनाम नरेन्द्र सिंह न्यायालय अपर सिविल जज (अवर खण्ड)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष संख्या–04, बुलन्दशहर द्वारा

Digitally signed by OMPRAKASH VERMA
Date: 2026.08.27 17:31:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पारित तलबी आदेश दिनांकित–21.10.2023 के विरूद्ध निगरानी दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

यहाँ पर धारा–05 मियाद अधिनियम का उल्लेख किया जाना विधिसम्मत होगा। धारा–05 मियाद अधिनियम में यह प्रावधान है कि ''कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, जो सिविल प्रक्रिया संहित 1908 के आदेश 21 के उपबन्धों में से किसी के अधीन आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा, यदि अपीलार्थी या आवेदक, न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिये पर्याप्त हेतुक था।

स्पष्टीकरण– यह तथ्य की अपीलार्थी या आवेदक विहित काल का अभिनिश्चय यह संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धित या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतुक को सकेगा।''

उपरोक्त विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि आवेदक को न्यायालय के समक्ष यह समाधान करना होगा कि निर्धारित मियाद के अन्तर्गत किन परिस्थितियों में वह आवेदक प्रस्तुत नहीं कर सका।

पत्रावली पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–528 बी.एन.एस.एस. नम्बर 28198/2025 नरेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक–10.02.2026 की प्रति विपक्षी द्वारा दाखिल की गयी है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत तलबी आदेश दिनांक–21.10.2023 को निरस्त किये जाने हेतु उक्त याचिका आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में यह कहा गया है कि उसे आलोच्य तलबी आदेश की जानकारी नहीं थी। उसे आलोच्य तलबी आदेश की जानकारी दोनो पक्षकारों के मध्य परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर में लम्बित वाद संख्या–376/2021, धारा–125 दं0प्र0स0 के विचारण के दौरान हुई। उक्त वाद दिनांक–13.12.2024 को निर्णीत हो चुका है। इस प्रकार आवेदक द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त वाद के विचारण के दौरान किस समय व किस तिथि को प्रश्नगत तलबी आदेश की जानकारी हुई। धारा–05 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब को तभी क्षमा किया जा सकता है, जबकि आवेदक द्वारा विलम्ब का दिन प्रति दिन स्पष्टीकरण दिया गया हो। इस प्रकार आवेदक द्वारा निगरानी योजित करने में हुए विलम्ब का पर्याप्त एवं सन्तोषजनक स्पष्टीकरण न दिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–05 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज सं0–5बी अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम निरस्त किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति के साथ तलबशुदा पत्रावली विचारण न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पक्षकार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15.09.2026 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो।

दिनांक 27.08.2026

(ओम प्रकाश वर्मा–III)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति
एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
बुलन्दशहर।
जे0ओ0कोड–यू0पी0–06142

स्टेनो बोबी कुमार